कार्यालय :– मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अजमेर

क्रमांक / 2025 / 18 दिनांक :– 02.07.2025

::संशोधित रिमाण्ड ड्यूटी आदेश::

इस कार्यालय के रिमाण्ड ड्यूटी आदेश कमांक / 2025 / 15 दिनांक 21.05.2025 द्वारा अजमेर मुख्यालय पर लगाई गई रिमाण्ड ड्यूटी में **प्रशासनिक** कारणों से आंशिक संशोधन निम्नानुसार किया जाता है :–

कम संख्या	अवकाश की दिनांक	अधिकारी का नाम व पद (पूर्व में लगायी ड्यूटी)	अधिकारी का नाम व पद (संशोधित ड्यूटी)
01	06.07.2025	श्रीमती हिमानी जैन, विशिष्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट (एन आई एक्ट प्रकरण), संख्या–2, अजमेर	श्री चार्विन बागमार, न्यायिक मजिस्ट्रेट सख्या–01, अजमेर

शेष आदेश यथावत् रहेगा।

नोट : उक्त संशोधित रिमाण्ड ड्यूटी आदेश विशिष्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट (एन आइ एक्ट प्रकरण) सख्या–2, अजमेर के पत्रांक 522 दिनांक 02.07.2025 के क्रम में जारी किया गया है।

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
अजमेर

क्रमांक :– 2538–2542 दिनांक :– 02.07.2025

प्रतिलिपि वास्ते सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्नलिखित को प्रेषित है :–

1. माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, अजमेर।
2. न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या–01, अजमेर।
3. विशिष्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट (एन आई एक्ट प्रकरण) संख्या–2, अजमेर।
4. प्रोटोकॉल ऑफिसर, जिला न्यायालय, अजमेर।
5. सिस्टम आफिसर, जिला न्यायालय, अजमेर को प्रेषित कर लेख है कि आदेश को जिला न्यायालय, अजमेर की वेबसाइट पर अपलोड करें।
6. कार्यालय प्रति।

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
अजमेर